न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सख्याः– 117/2019

लल्लू बनाम रोहन उर्फ पप्पू आदि।

<u>आदेश–पत्र</u>

<u>09.07.2019</u>

आज दावा वादी प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या अवलोकित। अतः मूलवाद दर्ज रजिस्टर हो। समन प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.08.2019 को वास्ते जवाव दावा एवं दिनांक 16.08.2019 को वास्ते तनकीह पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>09.07.2019</u>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग–2 मय शपथपत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी ने प्रार्थना–पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि प्रतिवादीगण दौरान मुकदमा मना किया जावे कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दर्शित प्रार्थी के मकान अ,ब,स,द पर कब्जा न करे और न ही प्रार्थी को बेदखल करें।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वादी की ओर से सूची 10ग–2 के माध्यम से 01 ता 4 अभिलेख प्रस्तुत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादी बढ़ईगिरी का कार्य करता है, वादी भूमिहीन है। वादी वर्ष 1992 से विवादित मकान में निवास कर रहा है। वादी ने अपने कथानक के समर्थन में राशनकार्ड कागज सं0 11ग1, नकल परिवार रजिस्टर 12ग1, आधारकार्ड 13ग1, विवादित मकान की फोटोचित्र 14ग1 प्रस्तुत किये है। अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि अगली नियत तिथि तक प्रार्थी के मकान प्रदर्शित अक्षर अ,ब,स,द पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते 6ग–2 दिनांक 09.08.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>09.07.2019</u>

8ग–2 अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र सुना। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। वाद पैरवी अमीन को 8ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। अमीन कमीशन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन